

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 565

दुर्ग, दिनांक 19/01/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non_forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Bharat Net phase II Bhoramdeo Sanctuary Kawardh Division "Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of optical fiber cable of 32,466 KM will involve 26 Districts across the state," Area-3.579 ha. Regarding.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/43124/2019.

संदर्भ :- 1) आपका पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-831/281 दि. 6.2.2020.
2) व.म.अ. कवर्धा का पत्र क्र./तक.अधि./112 दिनांक 12.01.2021.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि कुल रकबा 3.579 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन के प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है। प्रकरण के पंजीयन पश्चात् आवेदक संस्थान इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स, रायपुर से नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा द्वारा प्राप्त कर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा प्राप्त किया जाना लेख किया गया है। अतः प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

अतः वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के मूलतः 03 प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

03 प्रतियों में

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 566

प्रतिलिपि :-

- 1.) वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2.) JCEO, Chhattisgarh Infotech promotion society CHIPS, 2nd floor, SDC Building, Civil Line, Raipur की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

/c

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 19/01/2021

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

FCA अंतर्गत निम्नांकित व्यपवर्तन हेतु मंजूर की गई
अंश 3.578 के की अनुमति दी जाती है।

दिनांक:- 19/1/21

स्थान:- डुर्ग

हस्ताक्षर
शालिनी रेना) या.उ.स.
मुख्य वन संरक्षक(क्षे.)
राँव वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
सरकारी मोहर